

Need to provide details of all the expenditure incurred on treatment of patients during hospitalization under Ayushman Bharat Scheme-Laid

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारक हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। ये सुविधा सरकारी एवं प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में मिलती है। इसके अन्तर्गत लाभार्थी को अस्पताल में इलाज के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ इसका कोई प्रमाण अस्पताल के द्वारा डिस्चार्ज होने के बाद लाभार्थी को नहीं दिया जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि अस्पताल में भर्ती के दौरान होने वाले सभी खर्च जाँच में कितना खर्च हुआ दवाइयों का कितना हुआ, अन्य मेडिकल उपकरण में कितना लगा आदि का खर्च विवरण अनुसार एक प्रति लाभार्थी मरीज को भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के टाइम उपलब्ध करायी जाए।